

मूल वाद में अनिम डिक्री
बमुकद में ईत्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया राहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जमानिशासन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

संख्या :- 460/2015

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

जमानिशासन सिंह पुत्र साधूसिंह जाति तरखान नि. जण्डवाला सिखान तह.संगरिया

वादी

बनाम

- साधूसिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति तरखान नि. जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
- सुखपालकौर पुत्री जंगीर सिंह जाति तरखान नि.जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
- प्रीतमसिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति तरखान निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
- अमरीक सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति तरखान नि.जण्डवाला सिखान तह.संगरिया।
- जगमीतसिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति तरखान नि.जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
- एस.बी.बी.जे. बैंक संगरिया जरिए शाखा प्रबंधक संगरिया।
- बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबंधक संगरिया।
- एम.जी.बी.ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा जरिये शाखा प्रबंधक नुकेरा।
- तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 27.10.2025

राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे
श्री राजेश बुढानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महेन्द्र भाखर वकील प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं श्री
सिद्ध वकील प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव
तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 12 एएमपी के एकल खाता सं. 93/78 कुल खाता 3.289 हेक्. एवं इसी चक के संयुक्त खाता सं.

/3 कुल रकबा 13.915 है.

साधू सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति तरखान निवासी जण्डवाला सिखान: प.न. 144/159 मु.न. 22 का कि.न.
1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. खाला, 10,11,20/0.759, प.न. 144/160 मु.न. 25 का कि.न. 1/1/0.215,
1/2/0.038 गै.मु. रास्ता, 2/1/0.215, 2/2/0.038 गै.मु. रास्ता, 3/1/0.215, 3/2/0.038 गै.मु. रास्ता,
8 ता 13/1.518, 18 ता 23/1.518, प.न. 143/160 मु.न. 24 का कि.न. 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.
रास्ता, प.न. 144/161 मु.न. 32 का कि.न. 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु. खाला, 3/1/0.228, 3/2/0.
025 गै.मु. खाला कुल-5.566 हेक्. नहरी मय गै.मु।

सुखपाल कौर पुत्री जंगीर सिंह जाति तरखान निवासी जण्डवाला सिखान: प.न. 144/161 मु.न. 32 का कि.न.
1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. खाला, 9,10/0.506, प.न. 143/160 मु.न. 24 का कि.न. 15/1/0.228,
15/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु.
रास्ता, प.न. 144/159 मु.न. 22 का कि.न. 21/0.253 कुल-1.771 हेक्.

जगनिशासन सिंह पुत्र साधू सिंह जाति तरखान निवासी जण्डवाला सिखान: प.न. 144/158 मु.न. 15 का कि.न.
2,9,10,11,12,19,22,23/2.024, प.न. 144/159 मु.न. 22 का कि.न. 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु. खाला,
3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु. खाला, 9,12,19,22/1.012 प.न. 143/160 मु.न. 24 का कि.न. 24/0.253
कुल-3.795 हेक्. नहरी मय गै.मु।

जगमीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति तरखान निवासी जण्डवाला सिखान प.न. 143/160 मु.न. 24 का कि.न.
7,13,14,17,18,23/1.518, प.न. 143/161 मु.न. 33 का कि.न. 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु. खाला,
3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु. खाला, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. खाला, 5/1/0.202, 5/2/0.
025 गै.मु. खाला, 5/3/0.026 गै.मु. रास्ता, 6/1/0.1015, 6/2/0.025 गै.मु. रास्ता, प.न. 144/159 मु.न.
22 का कि.न. 8/0.1265 मिन, 13/0.1265 मिन, 18/0.1265 मिन, 23/0.1265 मिन कुल-3.1625 हेक्. नहरी
मय गै.मु।

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नहरीक सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति तरखान निवासी जण्डवाला सिखान: प.न. 143/161 मु.न. 33 का कि.न. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. खाला, 7,8,9,10,13,14/1.518, 12/0.1265 मिन. 6/1/0.1015, 6/1/0.1265 मिन कुल-2.530 हेक् नहरी मय गै.मु.।
प्रीतम सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति तरखान निवासी जण्डवाला सिखान: प.न. 143/161 मु.न. 33 का कि. न. 11/0.253, 12/0.1265 कुल - 0.3795 हे. नहरी।

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशांषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4250 दिनांक 30.10.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि होने के पश्चात ही नामान्तरण दर्ज किया जावे।

तहसीलदार संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में प.न. 143/161 मु.न. 33 का कि. न. 6/1/0.025 गै.मु. रास्ता का सहमति से अंकन करवाना चाहेते हैं जो नजरी नक्शा में पृथक से दिखाया गया है, इसलिए तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार उक्तानुसार रकबा को राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता अंकन किया जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)

महोदय कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया